टी०ए० मिस केस सं० 204/2019-20

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
05/03/2020	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक विक्रेता **श्री गोसा बानरा, पिता स्व० तुराम बानरा,** निवासी ग्राम– **बाई तुईबीर,** थाना– **मुफ्फसिल,** जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– **तुईबीर थाना नं० 126** के अन्दर खाता न० **147,** प्लॉट न० **1214,** रकवा **0.09**एकड़ भूमि क्रेता **श्री संध्या तियु, पिता श्री जीतलाल तियु,** ग्राम– **तुईबीर,** थाना– **मुफ्फसिल** चाईबासा के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत क्रेता इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदक (विक्रेता) के दादा के नाम से हाल सर्वे खतियान में दर्ज है। एवं आवेदित भूमि उत्तराधिकारी के रूप में आवेदक को प्राप्त हुई है।** आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन **पत्रांक 180, दिनांक 26.02. 2020** के द्वारा कुर्सीनामा तथा विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान निर्माण हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **श्री संध्या तियु, पिता श्री जीतलाल तियु,** ग्राम– **तुईबीर,** थाना– **मुफ्फसिल** चाईबासा के पास **4,70,000/– (चार लाख सत्तर हजार रुपये)** में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा के द्वारा लिखित अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदित प्लॉट में शेष भूमि 2.50 एकड़ से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू संपत्ति समुचित है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता **श्री गोसा बानरा, पिता स्व० तुराम बानरा,** निवासी ग्राम– **बाई तुईबीर,** थाना **मुफ्फसिल,** क्रेता **श्री संध्या तियु, पिता श्री जीतलाल तियु,** ग्राम– **तुईबीर,** थाना– **मुफ्फसिल** के पास जमीन को कुल **4,70,000/– (चार लाख सत्तर हजार रुपये)** में मौजा **तुईबीर थाना नं० 126** के अन्दर खाता न० **147,** प्लॉट न० **1214,** रकवा **0.09** एकड़ जमीन बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है। लेखापित 5/3 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। 5/3/2020 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	